

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 443(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.11.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 4396(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “माता अमृतनंदमयी मठ, अमृतपुरी डाकखाना, कोलाम जिला, केरल-6900525” द्वारा “कृषक पुनर्वास परियोजना (1,00,000 कृषकों के बच्चों को शिक्षा, महिलाओं के 5000 स्वयं सहायता समूहों को सहायता और प्रामर्श सेवा तथा चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है)” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1868(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “माता अमृतनंदमयी मठ, अमृतपुरी डाकखाना, कोलाम जिला, केरल-6900525” द्वारा चलाई जा रही “कृषक पुनर्वास परियोजना (1,00,000 कृषकों के बच्चों को शिक्षा, महिलाओं के 5000 स्वयं सहायता समूहों को सहायता और प्रामर्श सेवा तथा चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही

है)” की परियोजना अथवा स्कीम को 40.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 73/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)